न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 06 / 2018

1. नंदराम पुत्र पूराराम
2. ओमप्रकाश पुत्र नंदराम
3. सुरेश कुमार पुत्र नंदराम
4. हेतराम पुत्र नंदराम

अकवाम जाट निवासी भैरूपुरा उर्फ सीलवानी तह0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। —अपीलांट्स

बनाम

1. चन्द्रभान पुत्र हुक्मचन्द जाति अरोडा निवासी वार्ड नं. 35 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. वेदप्रकाश पुत्र हुक्मचन्द जाति अरोडा निवासी वार्ड नं. 35 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. मनोहरलाल पुत्र हुक्मचन्द जाति अरोडा निवासी सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर हाल राजा पार्क जयपुर।
4. जयप्रकाश पुत्र हुक्मचन्द जाति अरोडा निवासी वार्ड नं. 10 शास्त्री चौंक सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
5. नरेश कुमार पुत्र हुक्मचन्द जाति अरोडा निवासी वार्ड नं. 35 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ। —रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सूरतगढ

दिनांक 24.11.2017

उपस्थित:—

श्री प्रमेन्द्र भाटी, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री राकेश मनचन्दा, अभिभाषक रेस्पों.

श्री श्याम सुन्दर चांडक राजकीय अधिवक्ता

8/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय दिनांक 08.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पों. ने एक वाद पेश किया जिसके साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 212(2) पेश कर कथन किया कि अप्रार्थीगण/विवादित 1.265है0 भूमि पर बतौर अतिकमी काबिज है। अतः वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को कब्जा बनाए रखने के लिए 25000/–रूपये प्रति बीघा की दर से नकद प्रतिभूति जमा कराने के आदेश दिये जावें। यदि राशि जमा नहीं कराते तो तहसीलदार सूरतगढ को उक्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जावे। अप्रार्थीगण द्वारा जबाब पेश नहीं किया गया। सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने 20000/– रूपया प्रति बीघा प्रति वर्ष की दर से नकद प्रतिभूमि जमा कराने पर कब्जा रखने के आदेश दिये एवं राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में तहसीलदार सूरतगढ को रिसीवर नियुक्त किया गया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट का विवादित भूमि पर पिछले 50 वर्षों से कब्जा काश्त है। रेस्पों. मात्र पेपर आवंटी है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। वादी का वाद मियाद बाहर है। अधी. न्यायालय ने 20000/– रूपये की दर से जो प्रतिभूति कायम की है वो बहुत अधिक है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलांट का बतौर अतिकमी कब्जा है। विवादित भूमि रेस्पो0 की खातेदारी भूमि है जिस पर अपीलांट का कब्जा बतौर अतिकमी है अतः अतिकमी को किसी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती। अधी. न्यायालय ने रेस्पों. के हितों की रक्षा हेतु नकद प्रतिभूति कायम की है जो उचित है। अपीलांट को अधी.न्यायालय प्रार्थना पत्र के जबाव हेतु अनेक अवसर दिये गये लेकिन उनके द्वारा जबाव पेश नहीं किया

8/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का जबाव बंद किया गया । अपीलांट का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के निर्णय दिनांक 24.11.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अपीलांट का विवादित आराजी पर कब्जा है जो रेस्पों. की खातेदारी भूमि है के कब्जा वापिसी का दावा निर्णय तक 20000/– प्रतिवर्ष प्रतिभूति राशि पर दिये जाने के आदेश दिये हैं जो अपीलांट का सुने बगैर पारित किया है। अतः अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। यह रिकार्ड से साबित है कि विवादित आराजी रेस्पों. की खातेदारी भूमि होकर कब्जा प्राप्ति हेतु सन्दर्भ धारा राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 183 का दावा जैरकार है। जब तक भूमि रेस्पों. की खातेदारी दर्ज है। स्वाभाविक रूप से कब्जे में या कब्जे के अभाव में विवादित आराजी के प्रति लगाव रहता है तथा नकद प्रतिभूति का प्रावधान एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को Compensate करने के लिए दिया जाना विवेचित है। जिसके सम्बन्ध में अपीलांट अभिभाषक द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रतिभूति राशि 20000/– प्रति बीघा प्रति वर्ष अत्याधिक है क्योंकि विवादित आराजी बारानी होकर वर्षा पर निर्भर होने से 2000/– रूपये प्रति बीघा पर देने का निवेदन किया जिसका प्रतिकार करते हुए रेस्पों. अभिभाषक द्वारा कुछ शपथ पत्र पेश किये जिसमें ठेका राशि 25 से 30 हजार रूपये होना जाहिर कर अपील खारिज करने का अनुरोध किया जिसका विरोध करते हुए अपीलांट अभिभाषक द्वारा जाहिर किया कि शपथ पत्र कल ही तैयार किये गये हैं जो प्रकरण में साक्ष्य सृजन के प्रयोनार्थ तैयार किये गये हैं जिसे साक्ष्य में ग्राहय नहीं किया जा सकता।

अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन, उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि आराजी प्रतिभूति राशि पर दिया जाना उचित है। परन्तु अपीलांट के इस कथन का कोई specific denial नहीं है कि भूमि बारानी होकर बरसात पर निर्भर है। अतः प्रतिभूति राशि 20000/– रूपये प्रति बीघा के स्थान पर 12000/– प्रति बीघा प्रति

8/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

वर्ष किये जाने के साथ अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलांट प्रतिभूति राशि आज दिनांक से 10 दिवस के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष जमा कराये।

निर्णय दिनांक 08.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/1/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर